अखिल भारतीय सेवाएं शाखा

प्रश्न 1 : अखिल भारतीय सेवा (अ.भा.से.) शाखा का मुख्य कार्य क्या है ?

उत्तर : आयोग की अखिल भारतीय सेवा शाखा का मुख्य कार्य पदोन्नति के माध्यम से अथवा चयन द्वारा राज्य सेवाओं से अखिल भारतीय सेवाओं में अधिकारियों को भर्ती करने में आयोग की सहायता करना है ।

प्रश्न 2: क्या अखिल भारतीय सेवा शाखा अखिल भारतीय सेवाओं के नियमित पदोन्नति के मामलों/अनुशासनिक मामलों/अन्य सेवा मामलों पर भी कार्रवाई करती है ?

उत्तर: नहीं । अखिल भारतीय सेवा शाखा केवल राज्य सिविल सेवा / राज्य पुलिस सेवा / राज्य वन सेवा अधिकारियों की क्रमश : भारतीय प्रशासनिक सेवा / भारतीय पुलिस सेवा / भारतीय वन सेवा में पदोन्नति द्वारा नियुक्ति और गैर-राज्य सिविल सेवाओं (गैर-रा.सि.से.) के अधिकारियों की भा.प्र.से. में चयन द्वारा नियुक्ति पर कार्रवाई करती है ।

प्रश्न 3: अखिल भारतीय सेवाओं में भर्ती की विभिन्न विधियां क्या हैं?

उत्तर : अखिल भारतीय सेवाओं में भर्ती की दो विधियां हैं;

(i) **सीधी भर्ती** : भा.प्र.से. और भा.पु.से. के लिए सिविल सेवा परीक्षा और भा.व.से. के लिए भारतीय वन सेवा परीक्षा के माध्यम से। ये परीक्षाएं संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाती हैं ।

(ii) **पदोन्नति/चयन** : रा.सि.से./रा.पु.से./रा.व.से. के अधिकारियों की सम्बद्ध अखिल भारतीय सेवा में पदोन्नति द्वारा और गैर-राज्य सिविल सेवा (गैर-रा.सि.से.) अधिकारियों की भा.प्र.से. में चयन द्वारा ।

प्रश्न 4: पदोन्नति कोटा की मात्रा कितनी है?

उत्तर: किसी राज्य अथवा राज्यों के समूह में, एक समय में, पदोन्नति/चयन द्वारा भर्ती व्यक्तियों की संख्या उस राज्य अथवा राज्यों के समूह में अखिल भारतीय सेवा की कुल संवर्ग संख्या के **33.33** प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए ।

प्रश्न 5: क्या एक वर्ष में भा.प्र.से. में चयन द्वारा भर्ती किए जाने वाले गैर-राज्य सिविल सेवा (एन एस सी एस) अधिकारियों की संख्या की कोई सीमा है ?

उत्तर : किसी राज्य अथवा राज्यों के समूह के लिए भा.प्र.से. में चयन द्वारा भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या किसी भी समय में पदोन्नति कोटा द्वारा भर्ती व्यक्तियों की संख्या जो संवर्ग की संख्या का **33.33** प्रतिशत है, के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए ।

प्रश्न 6 : वे कौन से नियम तथा विनियम हैं जिनके अंतर्गत प्रशासनिक सेवा (भा.प्र.से.) / भारतीय पुलिस सेवा (भा.पु.से.)/ भारतीय वन सेवा (भा.व.से.) में पदोन्नतियां संचालित होती हैं ?

उत्तर : अखिल भारतीय सेवाओं अर्थात भारतीय प्रशासनिक सेवा(भा.प्र.से.), भारतीय पुलिस सेवा(भा.पु.से.) तथा भारतीय वन सेवा(भा.व.से.) में पदोन्नतियां क्रमश: उनसे संबंधित भर्ती नियमावलियों अर्थात भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954, भारतीय पुलिस सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 तथा भारतीय वन सेवा (भर्ती) नियमावली, 1966 तथा सम्बद्ध पदोन्नति विनियम अर्थात भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियमावली, 1955, भा.पु.से. (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियमावली, 1955, भा.व.से. (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियमावली, 1966 के तहत संचालित होती हैं । गैर-राज्य सिविल सेवा के अधिकारियों की भा.प्र.से. में नियुक्ति के लिए चयन भा.प्र.से. (चयन द्वारा नियुक्ति) विनियमावली, 1997 द्वारा संचालित की जाती है । इन भर्ती नियमावलियों तथा पदोन्नति विनियमावलियों की प्रतियां, भारत सरकार, कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग (का. तथा प्र.वि.) की वैब साइट **www. Persmin.gov.in** पर उपलब्ध हैं ।

प्रश्न 7. अखिल भारतीय सेवाओं में पदोन्नति के लिए विचार किए जाने हेतु कौन सी पात्रता शर्तें है ?

उत्तर : पदोन्नति विनियमावली के उपबंधों के सन्दर्भ में राज्य सिविल / पुलिस / वन सेवा के अधिकारी क्रमश: भा.प्र.से. / भा.पु.से. / भा.व.से. में पदोन्नति के लिए विचार किए जाने के पात्र हैं बशर्ते चयन सूची तैयार किए जाने वाले वर्ष की 01 जनवरी को वह अधिकारी

(क) राज्य सिविल / पुलिस / वन सेवा का सदस्य हो, जैसा लागू हो ।

(ख) भा.प्र.से. हेतु डिप्टी कलेक्टर अथवा राज्य सरकार द्वारा उसके समकक्ष घोषित किसी अन्य पद पर, भा.पु.से. हेतु डिप्टी एस पी अथवा राज्य सरकार द्वारा उसके समकक्ष घोषित किसी अन्य पद पर, तथा भा.व.से. हेतु राज्य वन सेवा में शामिल पद (पदों) में अधिकारी ने कम से कम 8 वर्ष की निरन्तर सेवा (स्थानापन्न अथवा मूल पद) पूरी की हो ।

(ग) अधिकारी की राज्य सेवा में सेवा पुष्टि कर दी गई हो ।

(घ) अधिकारी विचारार्थ क्षेत्र में हो, जो वरिष्ठता सूची अनुसार रिक्ति संख्या से तीन गुणा संख्या के समान हो ।

(ङ) अधिकारी ने 54 वर्ष की आयु पूरी न की हो [आयु सीमा 56 वर्ष तक बढ़ा दी गई है जो 2015 की चयन सूची से प्रभावी होगी जो उन रिक्तियों पर लागू होगी जो 01.01.2015 से 31.12.2015 के बीच उत्पन्न हुई हैं । (भा.प्र.से. / भा.पु.से. / भा.व.से. पदोन्नति विनियमावली, दिनांक 17.03.2015 में किए गए संशोधन और इस संबंध में भारत सरकार, कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग द्वारा दिनांक 20.03.2015 के जारी स्पष्टीकरण के अनुसार]।

प्रश्न 8. गैर-राज्य सिविल सेवा के अधिकारियों के भारतीय प्रशासनिक सेवा में चयन हेतु विचार किए जाने के लिए पात्रता मानदण्ड क्या हैं ?

उत्तर: भारतीय प्रशासनिक सेवा (चयन द्वारा नियुक्ति), विनियमावली,1997 के अनुसार गैर-राज्य सिविल सेवा अधिकारी, भारतीय प्रशासनिक सेवा में चयन के लिए विचार किए जाने के पात्र हैं, बशर्ते वह

(क) अतिविशिष्ट गुणवत्ता तथा योग्यता रखता हो एवं

(ख) मूल क्षमता में राजपत्रित पद पर तैनात हो ;

(ग) किसी भी ऐसे पद पर जिसे राज्य सिविल सेवा में डिप्टी कलेक्टर के पद के समकक्ष घोषित किया गया है, उनके मामले में विचार किए जाने वाले वर्ष की पहली जनवरी को राज्य सरकार में कम से कम 8 वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर ली हो तथा

(घ) 54 वर्ष की आयु पूरी न की हो [आयु सीमा 56 वर्ष तक बढ़ा दी गई है जो 2015 की चयन सूची से प्रभावी होगी जो उन रिक्तियों पर लागू होगी जो 01.01.2015 से 31.12.2015 के बीच उत्पन्न हुई हैं । (भा.प्र.से./ भा.पु.से./ भा.व.से. पदोन्नति विनियमावली दिनांक 17.03.2015 में किए गए संशोधन और इस संबंध में भारत सरकार, कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग द्वारा दिनांक 20.03.2015 के जारी स्पष्टीकरण के अनुसार) ।

प्रश्न 9 :किसी विशेष वर्ष की रिक्तियों के लिए अधिकारियों की पात्रता निर्धारित करने के लिए निर्णायक तिथि कौन सी है?

उत्तर : जिस वर्ष में पदोन्नति कोटा की रिक्तियां उत्पन्न होती हैं, विचारार्थ क्षेत्र में शामिल करने के लिए अधिकारियों की पात्रता निर्धारित करने हेतु उस वर्ष की 01 जनवरी को निर्णायक तिथि माना जाता है।

प्रश्न 10: पात्र अधिकारियों की उपलब्धता निर्धारित करने के लिए सैद्धांतिक (नोशनल) तारीख कौन सी है?

उत्तर : पदोन्नति हेतु विचार करने के लिए राज्य सेवा में पात्र अधिकारियों की उपलब्धता निर्धारित करने की सैद्धांतिक (नोशनल) तारीख रिक्ति वर्ष की 31 दिसम्बर है।

प्रश्न 11: भा.प्र.से., भा.पु.से. तथा भा.व.से. का संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी कौन है ?

उत्तर: तीनों अखिल भारतीय सेवाओं की संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी भारत सरकार है । संबंधित भा.प्र.से., भा.पु.से. तथा भा.व.से. पदोन्नति विनियमावली के उपबंधो के संदर्भ में केन्द्रीय सरकार से आशय भा.प्र.से. के लिए कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग, भा.पु.से. के लिए गृह मंत्रालय तथा भा.व.से. के लिए पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से है । ये रिक्तियां प्रत्येक वर्ष के लिए पदोन्नति कोटा के आधार पर भरी जाती है जो संबंधित राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है और अंतिम नियुक्तियां भी उन्हीं के द्वारा की जाती हैं ।

प्रश्न 12. संघ शासित क्षेत्र के लिए राज्य सरकार की भूमिका कौन निभाता है ?

उत्तर: संघ शासित क्षेत्र के संयुक्त ए.जी.एम.यू.टी. संवर्ग में पदोन्नति के लिए राज्य सरकार से

आशय भा.प्र.से. तथा भा.पु.से. के लिए गृह मंत्रालय (सं.शा.क्षेत्र) तथा भा.व.से. के मामलों में पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से है ।

प्रश्न 13. अखिल भारतीय सेवाओं में पदोन्नति / चयन के मामले में संघ लोक सेवा आयोग की क्या भूमिका है ?

उत्तर: संबंधित राज्य सरकारों से परामर्श करने के बाद संबद्ध संवर्ग नियत्रंण प्राधिकारी द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं में पदोन्नति / चयन के लिए रिक्तियों का निर्धारण किया जाता है । इसके उपरान्त राज्य सरकार संगत वर्षों के लिए पदोन्नति / चयन संबंधी प्रस्ताव आयोग को अग्रेषित करती है ।

इसके बाद आयोग द्वारा प्रस्ताव की विस्तार से जांच की जाती है और यदि कोई कमी हो तो संबंधित राज्य सरकारों को ऐसी कमियों को दूर करने के लिए कहा जाता है । प्रस्ताव के सभी प्रकार से पूर्ण होने की स्थिति में आयोग द्वारा पदोन्नति / चयन के लिए उपयुक्त पाए गए अधिकारियों की सूची तैयार करने के लिए चयन समिति बैठक का आयोजन किया जाता है । चयन समिति की अनुशंसाओं के बारे में राज्य सरकार तथा केन्द्र सरकार की टिप्पणियां प्राप्त करने के बाद संबंधित पदोन्नति / चयन नियमावली के संगत नियमों के अंतर्गत अपेक्षित चयन समिति की अनुशंसा आयोग के अनुमोदनार्थ उसके समक्ष रखी जाती है । आयोग द्वारा अंतिम रूप से अनुमोदित सूची ही राज्य सेवा के अधिकारियों की चयन सूची मानी जाती है । संबंधित संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा इसके बाद अखिल भारतीय सेवाओं में नियुक्तियां की जाती है ।

प्रश्न 14. चयन समिति बैठक के आयोजन के लिए राज्य सरकारों द्वारा आयोग को प्रस्ताव भेजते समय किन दस्तावेज़ों को भेजने की आवश्यकता होती है ?

उत्तर: (क) विधिवत अधिसूचित अद्यतन वरिष्ठता सूची ;

(ख) विचार किए जाने वाले अधिकारियों की पात्रता सूची ;

(ग) मुख्य सचिव द्वारा विधिवत रूप से हस्ताक्षरित सत्यनिष्ठा प्रमाण पत्र ;

(घ) अधिकारियों के विरूद्ध लंबित अनुशासनिक / आपराधिक कार्यवाहियों का विवरण, आरोप पत्र जारी करने / न्यायालय में दाखिल करने की तारीख सहित ।

(ङ) वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों में प्रतिकूल टिप्पणियों का विवरण- जिन्हें संप्रेषित किया जाना है; संप्रेषित कर दिया गया है किंतु उनके विरूद्ध अभ्यावेदन करने हेतु दी गई समय सीमा पूरी नहीं हुई है; प्रतिकूल टिप्पणियों के विरूद्ध अभ्यावेदन दिया गया लेकिन जिसमें राज्य सरकार का निर्णय लंबित है ।

(च) संक्षिप्त वर्णन सहित पिछले 10 वर्षों के दौरान लगाई गई शास्तियों का विवरण, शास्ति की तारीख और शास्ति की अवधि ।

(छ) चयन सूची तैयार करने में प्रभाव डालने वाले अदालती मामलों का विवरण ।

(ज) पूर्ण वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट डोजियर जिसमें नॉन रिकॉर्डिंग प्रमाणपत्र, गुम वार्षिक रिपोर्टों के वैध कारणों के उल्लेख सहित मूल वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट डोजियर ।

(झ) गुम वार्षिक रिपोर्ट डोजियर के कारणों सहित उपलब्ध वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट का विवरण ।

प्रश्न.15. किसी विशिष्ट वर्ष के लिए भा.प्र.से./ भा.पु.से. / भा.व.से. में पदोन्नति के लिए चयन समिति बैठक कब आयोजित की जा सकती है ?

उत्तर: केन्द्रीय सरकार द्वारा रिक्तियों का निर्धारण किए जाने के बाद किसी विशेष वर्ष के लिए चयन समिति बैठक का आयोजन किया जा सकता है बशर्ते कि संबंधित राज्य सरकार द्वारा सभी प्रकार से पूर्ण प्रस्ताव आयोग को प्रस्तुत कर दिया गया है। हालांकि, आयोग समय-समय पर राज्य सरकारों को परामर्श देता है ताकि वर्ष के दौरान इस प्रक्रिया को यथाशीघ्र पूरा किया जा सके ।

प्रश्न 16. चयन समिति का गठन क्या है ?

उत्तर: चयन समिति का गठन पदोन्नति नियमावली की अनुसूची में उल्लिखित है जो कि भारत सरकार, कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग (का.तथा प्र.वि.) की वैबसाइट अर्थात www.persmin.gov.in पर उपलब्ध है । आयोग के माननीय अध्यक्ष महोदय या माननीय सदस्य के अलावा किसी सदस्य की अनुपस्थिति के कारण समिति की बैठक की कार्रवाई अमान्य नहीं मानी जाएगी यदि चयन समिति के आधे से अधिक सदस्यों ने बैठक में भाग लिया है ।

प्रश्न 17: चयन सूची क्या है?

उत्तर : चयन समिति द्वारा किसी विशेष रिक्ति वर्ष के लिए अखिल भारतीय सेवा में शामिल करने हेतु अनुशंसित अधिकारियों की सूची को आयोग द्वारा पदोन्नति विनियमावली के विनियम 7(3) के अंतर्गत अंतिम

रूप से अनुमोदित किए जाने के पश्चात चयन सूची कहा जाता है। चयन सूची में अधिकारियों की संख्या, उस वर्ष के लिए संबंधित संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित रिक्तियों की संख्या से अधिक नहीं होती।

प्रश्न 18. यदि किसी वर्ष में चयन समिति बैठक आयोजित नहीं की जाती है तो क्या आगामी वर्षों में वर्ष वार चयन सूची तैयार की जा सकती है ?

उत्तर : हां, यदि पिछले वर्ष (वर्षों) के 31 दिसम्बर तक चयन समिति बैठक आयोजित नहीं की जाती है तो पदोन्नति विनियमावली के नियम 5(1) के परन्तुक के सन्दर्भ में जब भी चयन समिति बैठक पुन: आयोजित की जाती है तो वर्ष वार चयन सूची तैयार की जा सकती है ।

प्रश्न 19. चयन सूची की वैधता अवधि कितनी होती है ?

उत्तर: विनियम 7(4) के अनुसार चयन सूची की वैधता अवधि चयन समिति बैठक आयोजित किए जाने वाले वर्ष में 31 दिसम्बर तक या आयोग द्वारा चयन सूची अनुमोदित किए जाने के बाद 60 दिन तक जो भी बाद में हो, रहती है ।

प्रश्न 20: किसी अधिकारी की मृत्यु हो गई है या वह सेवा से सेवानिवृत्त हो गया है। क्या उसके नाम पर चयन सूची में शामिल करने के लिए तब भी विचार किया जाएगा ?

उत्तर : हाँ । यदि कोई अधिकारी विशेष वर्ष की चयन सूची के लिए पात्र था और उस वर्ष की 31 दिसम्बर को विचारार्थ उपलब्ध था, तो उस वर्ष की चयन सूची में शामिल करने के लिए उस पर विचार किया जाएगा, चाहे इस बीच उसकी मृत्यु हो गई हो अथवा वह सेवा से सेवानिवृत्त हो गया हो। उदाहरण के लिए यदि कोई अधिकारी 2010 की चयन सूची के लिए अर्हक था और वर्ष 2012 में उसकी मृत्यु / सेवानिवृत्त हो गया और चयन समिति बैठक 2013 में आयोजित की गई थी । इस अधिकारी के नाम पर वर्ष 2010 की चयन सूची के लिए विचार किया जाएगा चूंकि वह रिक्ति वर्ष अर्थात 2010 के 31 दिसम्बर को विचारार्थ उपलबध था ।

प्रश्न 21. क्या चयन सूची में शामिल किए गए अधिकारी जो सेवानिवृत्त हो गए है या पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए उपलब्ध नहीं है के स्थान पर विस्तारित पैनल का कोई प्रावधान है?

उत्तर: नहीं ।

प्रश्न 22. क्या कोई अधिकारी जिसकी वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट से प्रतिकूल टिप्पणियां हटाए जाने के लिए उसका अभ्यावेदन राज्य सरकार के पास लंबित है, उसे चयन सूची में शामिल किया जा सकता है ?

उत्तर: हां, यदि चयन समिति ऐसी प्रतिकूल टिप्पणियों को अनदेखा करने के बाद उसे अन्यथा समुचित पाती है । तथापि, विनियम 5(5) के परन्तुक के संदर्भ में उसको चयन सूची में शामिल किया जाना ऐसी प्रतिकूल टिप्पणियों को हटाए जाने के अध्यधीन अनंतिम होगा ।

प्रश्न 23. क्या वे अधिकारी जिनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही / आपराधिक कार्यवाही लंबित है, उन्हें चयन सूची में शामिल किया जा सकता है ? यदि बाद में उन्हें दोषमुक्त पाया जाता है तो उनकी क्या स्थिति होगी ? क्या उनके मामले में सील्ड कवर प्रोसीजर अपनाया जाएगा ?

उत्तर: हां, उन्हें अनंतिम तौर पर शामिल किया जा सकता है यदि वे अन्यथा उपयुक्त पाए जाते हैं । तथापि उनके दोष मुक्त होने या उनके अनंतिम रूप में शामिल किए जाने की परिस्थितियां समाप्त होने की स्थिति में आयोग द्वारा उनके नामों को चयन सूची में बिना शर्त शामिल किया जा सकेगा बशर्ते राज्य सरकार से चयन सूची की वैधता अवधि के दौरान इसी आशय हेतु प्रस्ताव प्राप्त हो जाता है। अखिल भारतीय सेवाओं में पदोन्नति के लिए सील्ड कवर प्रोसीजर नहीं अपनाया जाता है ।

प्रश्न 24 : यदि किसी पात्र अधिकारी के सत्यनिष्ठा प्रमाणपत्र को राज्य सरकार द्वारा रोक लिया गया है, तो क्या तब भी उसे चयन सूची में शामिल किया जा सकता है?

उत्तर : हाँ, यदि किसी अधिकारी का सत्यनिष्ठा प्रमाणपत्र राज्य सरकार द्वारा रोक लिया गया है, तो उसे सत्यनिष्ठा प्रमाणपत्र मिलने के अध्यधीन, चयन समिति द्वारा अनंतिम रूप से चयन सूची में शामिल किया जा सकता है, यदि चयन समिति अधिकारी की वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों के समग्र आकलन के आधार पर उसे अन्यथा पदोन्नति के लिए उपयुक्त पाती है।

प्रश्न 25. क्या कोई अधिकारी जिसका सत्यनिष्ठा प्रमाण पत्र राज्य सरकार द्वारा रोक लिया गया है या जिसके विरूद्ध अनुशासनिक / आपराधिक कार्यवाही लंबित है, भा.प्र.से. (गैर- राज्य सिविल सेवा) में चयन हेतु विचार किए जाने का पात्र है ?

उत्तर: नहीं ।

प्रश्न 26. कोई अनुशासनिक / आपराधिक कार्यवाही किसी अधिकारी के विरूद्ध कब लंबित मानी जाती है ?

उत्तर: कोई अनुशासनिक/ आपराधिक कार्यवाही किसी अधिकारी के विरूद्ध केवल तभी लंबित मानी जाती है जब उस अधिकारी को वास्तव में आरोप पत्र जारी कर दिया गया हो या न्यायालय में दायर कर दिया गया हो, जैसी भी स्थिति हो ।

प्रश्न 27 : चयन समिति द्वारा अधिकारियों के श्रेणीकरण से क्या अभिप्राय है?

उत्तर : पदोन्नति विनियमावली के विनियम 5(4) के अनुसार, चयन समिति को पात्र अधिकारियों को उनके सेवा रिकार्डों के आधार पर 'उत्कृष्ट', 'बहुत अच्छा', 'अच्छा' और 'अयोग्य' के रूप में, जैसा भी मामला हो, वर्गीकृत/श्रेणीकृत करना होता है।

प्रश्न 28 : क्या चयन सूची तैयार करने में वि.प.स. (डी पी सी) के समान कोई 'बेंचमार्क' ग्रेडिंग होती है?

उत्तर : नहीं । चयन समिति द्वारा चयन सूची तैयार करने में 'बेंचमार्क' अथवा 'योग्य/अयोग्य' के रूप में मूल्यांकन की कोई अवधारणा नहीं है। चयन सूची तैयार करते समय सर्वप्रथम अंतिम रूप से **'उत्कृष्ट'** के रूप में वर्गीकृत अधिकारियों में से, उसके पश्चात इसी प्रकार **'बहुत अच्छा'** के रूप में वर्गीकृत अधिकारियों में से और तत्पश्चात इसी प्रकार **'अच्छा'** के रूप में वर्गीकृत अधिकारियों में से अपेक्षित संख्या में नाम लिए जाते हैं तथा प्रत्येक श्रेणी में परस्पर नामों का क्रम राज्य सेवा में उनकी वरिष्ठता के क्रम के अनुसार होता है।

प्रश्न 29. चयन समिति द्वारा किन अभिलेखों का आकलन किया जाता है ?

उत्तर: चयन समिति द्वारा पात्र अधिकारियों के संबंध में राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत रिक्ति वाले वर्ष सहित पिछले 5 वर्षों के दौरान अधिकारी के निष्पादन के विशेष संदर्भ में वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट (और अन्य सेवा अभिलेखों) का आकलन किया जाता हे ।

प्रश्न 30 : यदि किसी मामले में, पिछले पांच वर्षों की गणना में किसी एक वर्ष की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट उपलब्ध नहीं है तो चयन समिति द्वारा किस प्रकार मूल्यांकन किया जाता है?

उत्तर : अधिकारी के समग्र मूल्यांकन को वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों की अनुपलब्धता के कारण नहीं रोका जा सकता, इसलिए चयन समिति उपलब्ध वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों के आधार पर श्रेणीकरण करती है। इस प्रकार, यदि किसी अधिकारी की एक वर्ष या उससे अधिक की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट संबंधित अवधि के दौरान उसके अवकाश, प्रशिक्षण पर रहने के कारण अथवा तीन माह से अधिक की अवधि के उसके काम के पर्यवेक्षण के लिए किसी अधिकारी के न होने के कारण अथवा किसी अन्य संगत कारण से नहीं लिखी गई है, तो चयन समिति पांच वर्ष की अवधि से पहले के वर्षों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों पर विचार कर सकती है।

प्रश्न 31. चयन समिति बैठक द्वारा किस प्रकार आकलन किया जाता है ?

उत्तर: चयन समिति अपना आकलन करने के लिए स्वतंत्र है । माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी **संघ लोक सेवा आयोग बनाम एच.एल. देव तथा अन्य (1988 एस सी 1069) तथा सं.लो. से.आ. बनाम के राजैय्या तथा अन्य (2005/10 एस.सी.सी. 15)** तथा अन्य कई मामलों में अपने निर्णय में समिति की इस शक्ति को बनाए रखा है । आयोग द्वारा इस संबंध में बनाए गए आंतरिक दिशा –निर्देश आयोग की वैबसाइट www.upsc.gov.in पर उपलब्ध हैं ।

प्रश्न 32 : किसी अधिकारी को उसके रिपोर्टिंग अधिकारी/पुनरीक्षा अधिकारी तथा प्राप्तकर्ता अधिकारी द्वारा भिन्न-भिन्न ग्रेड प्रदान किए गए हैं। क्या चयन समिति आकलन के लिए निम्न ग्रेड को आधार बना सकती है?

उत्तर : नहीं, किसी अधिकारी की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट का आकलन करते समय चयन समिति उसका आकलन स्वयं करती है। यदि पुनरीक्षा अधिकारी या स्वीकृत अधिकारी जो भी स्थिति हो, रिपोर्टिंग अधिकारी या पुनरीक्षा अधिकारी के आकलन से अलग दृष्टिकोण रखता है, जो भी स्थिति हो, तो आकलन के उद्देश्य से बाद के अधिकारी द्वारा की गई अभियुक्तियों को अंतिम माना जाता है बशर्ते संगत प्रविष्टियों से यह स्पष्ट हो कि उच्च अधिकारी ने विधिवत सोच विचार करने के बाद भिन्न आकलन किया है।

प्रश्न 33. क्या चयन समिति वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट में उल्लिखित समग्र ग्रेडिंग से असहमत हो सकती है ?

उत्तर: हां, चयन समिति एक उच्च अधिकार प्राप्त वैधानिक रूप से गठित समिति होती है और इसे अधिकारियों के सेवा अभिलेखों तथा वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों का स्वतंत्र मूल्यांकन करने के अधिकार प्राप्त हैं । समिति द्वारा प्रदान किए गए ग्रेड वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट के विभिन्न कॉलम में उल्लिखित विशेषताओं पर आधारित होते हैं और कभी - कभी यह ग्रेड वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट में रिर्पोटिंग अधिकारी / पुनरीक्षा अधिकारी / स्वीकारकर्ता अधिकारी द्वारा दिए गए समग्र ग्रेड से भिन्न हो सकते हैं

/ माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने के. राजैय्या के मामले में अपने निर्णय में भी यह उल्लेख किया है कि चयन समिति वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट में अभिलेखबद्ध समग्र ग्रेडिंग के प्रति बाध्य नहीं है ।

प्रश्न 34. क्या चयन समिति, भारत सरकार, कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी विभागीय पदोन्नति समिति दिशा-निर्देशों का अनुपालन करती है ?

उत्तर: नहीं, चयन समिति, आयोग के आंतरिक दिशा –निर्देशों के अनुसार पदोन्नति नियमावली के उपबंधों के संदर्भानुसार आकलन करती है । माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 2007 की सिविल अपील सं. 5883-5891, श्री एम. वी. थिमैय्या तथा अन्य बनाम संघ लोक सेवा आयोग तथा अन्य के मामले में अपने दिनांक 13.12.2007 के निर्णय में पदोन्नति नियमावली के अंतर्गत गठित चयन समिति द्वारा सेवा अभिलेखों का आकलन करने संबधी आयोग के दिशा-निर्देशों को स्वीकार किया है । न्यायालय ने उल्लेख किया है :

"Therefore, in view of the catena of cases, courts normally do not sit in the court of appeal to assess the ACRs and much less the Tribunal can be given this power to constitute an independent Selection Committee over the statutory Selection Committee. The guidelines have already been given by the Commission as to how the ACRs to be assessed and how the marking has to be made. These guidelines take care of proper scrutiny and not only by the Selection Committee but also the view of the State Government are obtained and ultimately the Commission after scrutiny prepare the final list which is sent to the Central Government for appointment".

प्रश्न 35 : एक से अधिक वर्षों की चयन सूची तैयार करते समय अनंतिम रूप से शामिल किए गए अधिकारी के मामले पर कैसे विचार किया जाता है?

उत्तर : पदोन्नति विनियमावली के उप विनियम (1) के द्वितीय परन्तुक के अनुसरण में एक से अधिक वर्षों की वर्षवार चयन सूची तैयार करते समय इस प्रकार तैयार की गई किसी चयन सूची में अनंतिम तौर पर शामिल किए गए किसी अधिकारी पर सामान्य विचारार्थ क्षेत्र के अतिरिक्त बाद के वर्ष की चयन सूची में शमिल करने के लिए विचार किया जाएगा और यदि वह उस चयन सूची में भी अनंतिम आधार पर शामिल करने के लिए उपयुक्त पाया जाता है, तो इस प्रकार के शामिल किए जाने को केन्द्रीय सरकार द्वारा उक्त वर्ष के लिए निर्धारित की गई चयन सूची के सामान्य आकार के अतिरिक्त माना जाएगा।

प्रश्न 36 : क्या किसी अधिकारी के विरूद्ध लंबित अनुशासनिक/आपराधिक कार्यवाही के आधार पर उसे 'अयोग्य' मान लिया जाएगा?

उत्तर : नहीं, किसी अधिकारी को केवल तभी अयोग्य घोषित किया जा सकता है यदि उस अधिकारी पर जो शास्ति लगाई गई है वह उसे समग्र आकलन करने के बाद 'अयोग्य' करार देती है, न केवल

उसके विरूद्ध लंबित किसी अनुशासनिक/आपराधिक कार्यवाही के आधार पर। तथापि, अनुशासनिक/आपराधिक कार्यवाही के लंबित होने की दशा में अधिकारी को अनंतिम तौर पर चयन सूची में शामिल किया जा सकता है जो अनुशासनिक/आपराधिक कार्यवाही में उसके दोषमुक्त पाए जाने के अध्यधीन होगा ।

प्रश्न 37 : किसी शास्ति के अधिरोपण की तारीख क्या होती है?

उत्तर : शास्ति का अधिरोपण उसके लागू होने की तारीख से उसके समाप्त होने की तारीख तक माना जाता है।

प्रश्न 38 : क्या किसी अधिकारी पर लगाई कई शास्ति उसे चयन सूची में शामिल किए जाने के लिए 'अयोग्य' घोषित कर सकती है यदि अपराध पिछले पांच वर्षों के मूल्यांकन मैट्रिक्स की अवधि से पूर्व किया गया था परंतु शास्ति की अवधि मूल्यांकन मैट्रिक्स के दौरान आ रही है?

उत्तर : हां । मान लीजिए किसी अधिकारी द्वारा वर्ष 2000 में अपराध किया गया था परंतु उस पर वर्ष 2008 में शास्ति अधिरोपित की गई थी और उसे चयन सूची 2010 के लिए विचारार्थ क्षेत्र में शामिल किया गया था। उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा क्योंकि शास्ति की अवधि 2005-06 से 2009-10 तक के मूल्यांकन मैट्रिक्स में आ रही होगी।

प्रश्न 39 : मान लीजिए कि वर्ष 2012 एवं 2013 की वर्षवार चयन सूची तैयार करने के लिए चयन समिति की बैठक जून 2014 में आयोजित की गई थी और किसी एक अर्हक अधिकारी पर मार्च 2014 में शास्ति अधिरोपित की गई थी, क्या अधिकारी को चयन सूचियों में शामिल करने हेतु 'अयोग्य' घोषित कर दिया जाएगा?

उत्तर : हां। यदि शास्ति का अधिरोपण चयन समिति की बैठक के वर्ष में आ रहा है जो इस मामले में वर्ष 2014 है, अधिकारी को तैयार की जा रही सभी चयन सूचियों के लिए समग्र मूल्यांकन में 'अयोग्य' ग्रेड दिया जाएगा।

प्रश्न 40 : मूल्यांकन करते समय 'परिनिन्दा' की शास्ति पर कैसे विचार किया जाता है?

उत्तर : चयन सूचियां तैयार करते समय चयन समिति 'परिनिन्दा' शास्ति के प्रभाव पर निम्नानुसार विचार करेगी –

(क) यदि "परिनिन्दा" की शास्ति के अधिरोपण की तारीख मूल्यांकन मैट्रिक्स के किसी वर्ष में आती है तो समिति उस वर्ष की तैयार की गई प्रथम चयन सूची में, जिसमें वह विचार किए जाने का पात्र है, अधिकारी को 'अयोग्य' की श्रेणी में रखेगी।

(ख) यदि 'परिनिन्दा' की शास्ति मूल्यांकन मैट्रिक्स के अंतिम वर्ष के बाद और चयन समिति की बैठक की तारीख तक अधिरोपित की जाती है तो समिति तैयार की गई पहली चयन सूची में, जिसमें वह विचार किए जाने का पात्र है, अधिकारी को समग्र मूल्यांकन में 'अयोग्य' की श्रेणी में रखेगी।

(ग) बाद की चयन सूचियों जिनमें अधिकारी विचार किए जाने का पात्र पाया जाता है, 'परिनिन्दा' शास्ति को छोड़ दिया जाएगा।

प्रश्न 41. क्या अखिल भारतीय सेवाओं में पदोन्नति के मामले में अतिलंघन होता है ?

उत्तर: हां । पदोन्नति विनियमावली के विनियम 5 (4) तथा 5 (5) भा.व.से. के लिए 5 (3 ए.ए.) तथा 5(4) के प्रावधानों के अनुसार अखिल भारतीय सेवाओं में पदोन्नति गुणावगुण के आधार पर की जाती है ।

प्रश्न 42. गैर-राज्य सिविल सेवा के अधिकारियों की भा.प्र.से. में नियुक्ति के लिए चयन हेतु वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट तथा साक्षात्कार का अलग-अलग कितना महत्व है ?

उत्तर: यह 50:50 है, परन्तु चयन सूची में शामिल किए जाने के लिए अर्हता हेतु प्रत्येक घटक में 50% अंक अनिवार्य हैं ।

प्रश्न 43. क्या गैर-राज्य सिविल सेवा के अधिकारियों की चयन द्वारा नियुक्ति के मामले में वर्षवार चयन सूची तैयार किए जाने का कोई प्रावधान है ?

उत्तर: नहीं, गैर-राज्य सिविल सेवा की चयन प्रक्रिया रिक्ति वाले वर्ष के आगामी कैलेन्डर वर्ष की समाप्ति तक सम्पूर्ण हो जाना चाहिए । यदि उस कैलेन्डर वर्ष की समाप्ति तक कोई चयन समिति बैठक आयोजित नहीं की जा सकी थी तो रिक्तियां गैर-राज्य सिविल सेवा के अधिकारियों के लिए समाप्त हो जाती है और उसके बाद उनके लिए उस वर्ष के लिए कोई बैठक संभव नहीं हैं ।

प्रश्न 44. क्या अखिल भारतीय सेवाओं में पदोन्नति / चयन के लिए अ.जा./ अ.ज.जा. / अ.पि.व./ शा.वि. के लिए आरक्षण की कोई व्यवस्था है ?

उत्तर : नहीं, अखिल भारतीय सेवाओं में पदोन्नति / चयन का संचालन करने वाली पदोन्नति / चयन विनियमावली में किसी भी श्रेणी के व्यक्तियों के लिए आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं है ।

प्रश्न 45 : क्या चयन समिति की बैठक के कार्यवृत्त को आर.टी.आई. अधिनियम के अंतर्गत प्रकट किया जा सकता है?

उत्तर : हां, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत चयन समिति की बैठक के कार्यवृत्त को प्रकट किया जा सकता है।

प्रश्न 46 : क्या सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत वर्षवार मूल्यांकन पत्रक प्रकट किए जा सकते हैं?

उत्तर : नहीं । वर्षवार मूल्यांकन पत्रक प्रकट नहीं किए जा सकते हैं। तथापि, **संघ लोक सेवा आयोग बनाम मधु खरे** मामले में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश के अनुसरण में आयोग ने यह निर्णय लिया है कि केवल संबंधित उम्मीदवार का वर्षवार मूल्यांकन उन्हें प्रकट किया जा सकता है यदि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत उन्होंने विशेष रूप से इसकी मांग की हो।

प्रश्न 47. क्या चयन सूची अनुमोदित किए जाने के बाद और उस पर कार्रवाई किए जाने के बाद राज्य सेवा में वरिष्ठता क्रम में होने वाले परिवर्तन, अभिलेख परिवर्तन उदाहरणीय प्रतिकूल टिप्पणियों के हटाए जाने, अनुशासनिक / आपराधिक कार्यवाही से मुक्त होने, शास्तियों आदि के हटाए जाने के बाद पुनरीक्षा की जा सकती है ?

उत्तर: नहीं, अखिल भारतीय सेवाओं में पदोन्नति विनियमावली में चयन सूची की पुनरीक्षा करने की व्यवस्था नहीं है । चयन सूची की, चाहे जो भी कारण, पुनरीक्षा अदालत के विशेष निर्देशों पर ही की जा सकती है ।

प्रश्न 48 : क्या किसी अधिकारी को, जिसने अखिल भारतीय सेवाओं में नियुक्ति के लिए अपनी अनिच्छा व्यक्त की हो, चयन सूची में शामिल किया जा सकता है?

उत्तर : यदि किसी अधिकारी को प्रथम बार विचारार्थ क्षेत्र में शामिल किया गया है, उसके नाम पर चयन सूची में शामिल करने के लिए विचार किया जाएगा। तथापि, समिति राज्य सिविल सेवा के किसी ऐसे सदस्य के मामले पर विचार नहीं करेगी, जिसे पूर्व चयन सूची में शामिल किया गया था और जिसने सेवा में नियुक्ति हेतु अनिच्छा व्यक्त की थी। तथापि, उसे आगे की चयन सूची में शामिल करने हेतु विचार किया जाएगा यदि वर्ष के शुरू होने से पूर्व वह राज्य सरकार को लिखित में आवेदन करके अखिल भारतीय सेवा में नियुक्ति के लिए विचार किए जाने हेतु अपनी इच्छा व्यक्त करता है ।

प्रश्न 49 : चयन सूची में अनंतिम रूप से शामिल किए गए किसी अधिकारी को 'निशर्त' घोषित करने की प्रक्रिया क्या है?

उत्तर : चयन सूची में अनंतिम रूप से शामिल किसी अधिकारी को 'निशर्त' घोषित करने के लिए राज्य सरकार को उस अवधि के दौरान जिसमें चयन सूची लागू है, आयोग को एक विशिष्ट प्रस्ताव भेजना होगा। आयोग पैंतालिस दिनों की अवधि के दौरान या अगली चयन समिति की बैठक की तारीख से पूर्व, जो भी पहले है, इस मामले में निर्णय लेगा और यदि आयोग चयन सूची में अनंतिम रूप से शामिल किए गए अधिकारी को 'निशर्त' और अंतिम घोषित करता है तो केन्द्र सरकार द्वारा संबंधित अधिकारी की नियुक्ति पर विचार किया जाएगा।

प्रश्न 50 : क्या राज्य सरकार से टिप्पणियां प्राप्त होने के पश्चात आयोग चयन सूची में कोई परिवर्तन कर सकता है?

उत्तर : यदि आयोग राज्य सरकार से प्राप्त सूची में कोई परिवर्तन करना आवश्यक समझता है तो आयोग प्रस्तावित परिवर्तनों के संबंध में राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार को सूचित करेगा तथा राज्य सरकार और केन्द्र सरकार की टिप्पणियों, यदि कोई हों, को ध्यान में रखते हुए उन संशोधनों, यदि कोई हो, जो उनके विचार में न्यायसंगत और उचित हों, के साथ सूची को स्वीकृत कर सकता है।